न्यायालयः मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया,
पश्चिम चम्पारण।

बेतिया नगर थाना कांड संख्या. 723/2020
जी.आर. सं0. 5312/2020

दिनांक 23.06.2021

बेतिया नगर कांड संख्या– 723/2020 के अन्तर्गत दिनांक 07.04.2021 से कारावंदी अभियुक्त रविन्द्र कुमार शुक्ला की ओर से 167-(II) के तहत आवेदन आनलाईन के माध्यम से दाखिल किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता को आनलाईन के माध्यम से सुना कार्यालय आरोप पत्र के संबंध में अपना प्रतिवेदन समर्पित करें ।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

पश्चात
23/06/2021

कार्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त है प्रतिवेदन के अनुसार वाद में आरोप पत्र संख्या 341/2021 दिनांक 05/06/2021 को न्यायालय में दिनांक 07/06/2021 को समर्पित किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी को पुनः आनलाईन माध्यम से सुनवाई हेतु जोडा गया ।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उन्हें कुछ रूलिंग दाखिल करनी है । अतः सुनवाई हेतु वाद को कल पर अर्थात् दिनांक 24/06/2021 को रखने की कृपा करें ।

विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर अभिलेख सुनवाई हेतु कार्यालय दिनांक 24/06/2021 को प्रस्तुत करे ।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

दिनांक 24/06/2021

अभिलेख दिनांक 23/06/21 को दाखिल 167-(II) के आवेदन पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी को आनलाईन माध्यम से सुना गया ।

अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में अभियुक्त रविन्द्र कुमार शुक्ला को दिनांक 07/04/2021 को कारा भेजा गया है तथा वाद में दिनांक 07/06/2021 को अनुसंधानकर्त्ता के द्वारा नामित अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र समर्पित किया गया है । आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात

वाद में अभियुक्त के विरूद्व दिनांक 17/06/2021 को अपराध का संज्ञान लिया गया है । आरोप पत्र समर्पित होने तथा संज्ञान के पश्चात अभियुक्त द्वारा दिनांक 23/06/2021 को 167-(II) के लाभ के लिए आवेदन दाखिल किया गया है । चूकिं अभियुक्त द्वारा 167-(II) का आवेदन आरोप पत्र समर्पित होने तथा संज्ञान होने के पश्चात दाखिल किया गया है जो कि पोषणनीय नही है ।

अतः दाखिल आवेदन पोषणनीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है ।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी